राजस्थान सरकार

अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाडमेर

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
1. दुर्गाराम पुत्र मगाराम, जाति जाट निवासी आजाद नगर, तहसील चौहटन	1.पेमाराम पुत्र गंगाराम 2.नोजीदेवी पत्नि ठाकराराम जाति जाट, निवासी कापराऊ 3.सारोदेवी पत्नि तिलोकाराम 4.वनाराम पुत्र लिखमाराम 5.मगाराम पुत्र हीराराम 6.अमरूदेवी पत्नि हीराराम 7.तिलोकाराम पुत्र रामाराम 8.देराजराम पुत्र मूलाराम जाति जाट, निवासी आजाद नगर, तहसील चौहटन 9.उपपंजीयक एवं तहसीलदार चौहटन

15/02/21 **किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मु.न. 29/2021**

प्रार्थी के वकील श्री नरेश भादू ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता की बहस एवं सलंग्न दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के हक में कयास होता है, अतः जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा उभयपक्ष को आगामी पेशी तारीख तक इस कदर पाबन्द किया जाता है कि तहसील चौहटन के मौजा अमरावास (कोनरा) के खसरा सं. 334 रकबा 15.13 बीघा एवं खसरा सं. 344 रकबा 82.14 बीघा भूमि पर मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस दिवस 7 में रजि.एड़ी सहित न्यायालय हाजा में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जावे। स्थगन अहकॉम जारी हो। तलबी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर एडी. नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 16.03.2021 को पेश हो। 139 / 140 to 142

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

25/02/21 पत्रावली आज प्रार्थी मय वकील के प्रार्थना पत्र पर दर्ज की गई। चूंकि मूल वाद विड्रो किया जा चुका है अतः आवेदन में आगे की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहा। आवेदक के [illegible] के कथन पर स्थगन की बाबत आवेदन विड्रो किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.03.04 12:14:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौहटन